

प्रेस नोट

दिनांक- 01.10.2026

यौन उत्पीड़न से संबंधित एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी, मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.10.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिद्धा अहिलासपुर गाँव के पास पुलिया से मु0अ0सं0 326/26 धारा धारा 376(2)n/506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक कन्नौजिया पुत्र हरिकेश कन्नौजिया नि0 सरायसादी थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष को समय करीब 09.05 बजे सुबह गिरफ्तार का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक कन्नौजिया पुत्र हरिकेश कन्नौजिया नि0 सरायसादी थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

2. मु0अ0सं0 326/26 धारा धारा 376(2)n/506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 01.10.2026 को सिद्धा अहिलासपुर गाँव के पास पुलिया से समय 09.05 बजे सुबह

बरामदगी का विवरण –

कुल 250०० चिटबन्दी के।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 35,980/- (पैंतीस हजार नौ सौ अस्सी रुपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 01.10.2026 को पीडित/ आवेदक सन्तोष यादव पुत्र स्व. किशोर प्रसाद यादव निवासी बाउडीह थाना मधुबन जनपद मऊ के खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 35,980/- (पैंतीस हजार नौ सौ अस्सी रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 01.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.गुलशन पुत्र हरिशचन्द्र राय, 2. लक्ष्मीचन्द्र पुत्र चन्द्रदेव निवासीगण ग्राम चकहवीबुल्लाह थाना मधुबन जनपद मऊ।

2.थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.विवेक कुमार पुत्र छड्डू राम निवासी सिरसा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, 2. आनन्द कुमार सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी देवखरी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 01.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत सन्दिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 23 टीम गठित कर जनपद के 23 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1310 सन्दिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 219 वाहनो को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक अदद नाजायज चाकू बरामद होने वाले मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 /- रु० के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

|

पुलिस महानिदेशक उ० प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मु०अ०सं०- 528/2002 धारा- 4/25 आयुध अधिनियम का अभियोग थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01.10.2026 को मा० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होने वाले मामले में दोषी अभियुक्त सतिराम हरिजन पुत्र रामबली हरिजन निवासी खैरारी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना चिरैयाकोट पर मुकदमें में बरामद अबैध कच्ची देशी शराब कुल मात्रा- 142 लीटर, कराया गया विनिष्टीकरण

आपरेशन क्लीन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में बरामद/ मुकदमाती मालों/ अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, शराब विनिष्टीकरण के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह व तहसीलदार मऊ श्री सुधांशु शेखर, थानाध्यक्ष चिरैयाकोट व अन्य पुलिस टीम की उपस्थिति में दिनांक 01.10.2026 को अपर सिविल जज(जू०डि०) /न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं-02 मऊ व न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा दिनांक 17.08.26 व 28.07.26 के आदेश के क्रम में थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ पर वर्ष 2024, 2025, 2026 में पंजीकृत धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 11 अभियोग से संबंधित अबैध कच्ची व देशी शराब नमूना माल निकालकर कुल मात्रा- 142 लीटर को गड़्ढा खोदवाकर गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।